10/2022/1/136941/2022-71-2099/521/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2022

विषयः-संस्थान के फैकल्टी मेम्बर्स को 7वें वेतनमान के संशोधित पे-मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने तथा एन0पी0ए0 को सम्मिलित करते हुए वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6253/डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/2020, दिनांक 12 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के फैकल्टी मेम्बर्स को 7वें वेतनमान के संशोधित पे-मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने तथा एन0पी0ए0 को सम्मिलित करते हुए वेतन निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-14/2020/321/71-2-20-पी-38/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकाय सदस्यों को एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया। शासनादेश संख्या-1900/71-2-2019-पी-49/2018 दिनांक 27 अगस्त, 2019 दिनांक 27.08.2019 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकायी सदस्यों को एस0जी0पी0जी0आई0 के संकायी सदस्यों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-14/2020/321/71-2-20-पी-38/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में लागू की गयी व्यवस्था की भॉति डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकायी सदस्यों को संशोधित पे-मैट्रिक्स वेतनमान अनुमन्य कराने तथा एन0पी0ए0 पर डी0ए0 को पूर्व मूल वेतन में जोड़कर दिनांक 01-01-2016 से पुनः वेतन निर्धारण करने की अनुमति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एम्स, नई दिल्ली/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के संकायी सदस्यों के समान डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के संकाय सदस्यों को वेतनमान दिया जाना अनुमन्य है तथा इसमें किसी प्रकार का विचलन न हो।
2. एरियर का भुगतान एकमुश्त नहीं किया जायेगा अपितु 04 समान किश्तों में आगामी दो वित्तीय वर्षों 2022-23 व 2023-24 में किया जायेगा।
3. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान में पदों की संरचना, वेतनमान, वेतन निर्धारण तथा गणना की प्रक्रिया एम्स, नई दिल्ली के समान है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-3436-दस-2021-22 दिनांक 25-01-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकर, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।